प्रेस नोट- 43

दिनांक- 17.01.2025

सराहनीय कार्य जनपद अमेठी ।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे Operation Conviction अभियान के अन्तर्गत अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या के प्रयास के अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय द्वारा 04 वर्ष 06 माह तथा 4000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी ।

पुलिस अधीक्षक अमेठी के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी के पर्यवेक्षण मे अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय मे चल रहे अभियोगों में **Operation Conviction** अभियान के अन्तर्गत अभियोजन अधिकारी /न्यायालय पैरोकार एवं मानीटिरिग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप माननीय न्यायालय रायबरेली में मु0अ0स0 412/20 धारा 307 भादवि0 थाना मोहनगंज जनपद अमेठी के अभियुक्तगण 1.सुनिल दीक्षित पुत्र रामनेवल नि0 गडेहरी थाना मोहनगंज जनपद अमेठी 2.अल्ताफ उर्फ धर्मेन्द्र पुत्र सरवर नट नि0 मेलाई खुर्द जनपद अमेठी को दोष सिद्ध कराने में सफलता प्राप्त हुई, परिणाम स्वरुप माननीय न्यायालय एफटीसी द्वितीय रायबरेली द्वारा अभियुक्तगणो को आज दिनांक 17.01.2025 को धारा 307 भादवि0 में 04 वर्ष 06 माह तथा 4000 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई गयी ।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

प्रश्नगत अभियोग में वादी मुकदमा नि0 श्री विश्वनाथ यादव थाना मोहनगंज जनपद अमेठी द्वारा अभियुक्तों के द्वारा पुलिस पार्टी पर हमला करने पर दिनांक 26.09.2020 को समय 04.00 बजे थाना मोहनगंज पर मु0अ0स0 412/20 धारा 307 भादवि पंजीकृत होकर विवेचक उ0निरी0 बाबूराम राजवंशी द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना के दौरान प्रयाप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त, आरोप पत्र संख्याः ए-400 दिनांक 15.11.2020 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।